राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27 (263)ग्राविवि/ग्रुप–5/जीकेएन/उपापन/ 2015–16 जयपुर, दिनांक 13 अप्रैल, 2017

–:: बैठक कार्यवाही विवरण ::–

शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग विधान सभा में दिनांक 27.03.2017 को विभागीय अनुदान मांगों पर उत्तर देते समय माननीय मंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणाओं की कियान्विति के कम में चर्चा हेतु शासन सचिव, ग्रामीण विकास महोदय की अध्यक्षता में विभागीय तकनीकी अनुमोदन समिति की बैठक **दिनांक 10.04.2017 को** समिति कक्ष में आहुत की गई है, जिसमें उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–अ पर संलग्न है।

बैठक ऐजेन्डावार प्रत्येक बिन्दू पर विस्तार से विचार विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय/निर्देश दिये गयेः–

क.सं.	ऐजेन्डा बिन्दू	बैठक मे लिए गये निर्णय/निर्देश
1	गॉवों में जो भी सड़के बनती थी कि चौडाई 3. 75 मीटर ही अनुमत थी, इसे बढाकर गॉवों के अन्दर आन्तरिक सड़कें वॉल–टू–वॉल नालियों के साथ निर्माण होगा के आदेश प्रसारित करने बाबत चर्चा एवं आन्तरिक सड़कों के तकनीकी मापदण्ड निर्धारित करने पर चर्चा।	गांव की आन्तरिक सड़क मुख्य सडक से जोडने वाली गांव की कॉलोनी/बस्तियों को जोडने वाली छोटी सडके, जिनकी चौडाई स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग–अलग हो सकती है। उक्त सम्बन्ध में अति. मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि की अध्यक्षता में दिनांक 28.02.2016 की बैठक में निर्णय अनुसार विभाग की समस्त योजनान्तर्गत निर्मित की जाने वाली गांव की आन्तरिक सडक की औसत चौडाई (केरीज विड्थ) 3.75 मीटर ही होगी। आवश्यक होने पर गांव की आन्तरिक सडक दीवार से दीवार तक बनायी जा सकती है, परन्तु यह सुनिश्चित किया जावें कि एक किलोमीटर सडक के लिये निर्धारित कुल क्षेत्रफल (कारपेट एरिया) 3750 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। सडक निर्माण के उपरान्त दोनो तरफ नाली निर्माण आवश्यक रुप से करवाया जावें। इसी कम में माननीय मंत्री महोदय द्वारा विधानसभा में की गई घोषणा के कम में तकनीकी अनुमोदन समिति द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त निम्न निर्णय लिया गया :– महात्मा गांधी नरेगा योजना में भारत सरकार के निर्देश दिनांक 24. 04.2012 के द्वारा गांवों की आंतरिक सड़क की चौडाई 3 मीटर निर्धारित की गई है। शेष चौडाई में सडक निर्माण अन्य विभागीय योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों से कराई जा सकती है। अतः मूल प्रकरण पर माननीय मंत्री महोदय के विधानसभा में अनुदान मागों के उत्तर मे की गई घोषणा के कम मे बैठक में पुनः चर्चा की गई । गांवों में आंतरिक सडके 2 प्रकार की होती है। मुख्य आवागमन/बाजार की सडक, जो कि गांव के एक छोर से दूसरे छोर को जोडती है एवं आवागमन का मुख्य मार्ग रहता है। गांव की आन्तरिक सड़क मुख्य सडक से जोडने वाली गांव की

		कॉलोनी/बस्तियों को जोडने वाली छोटी सडके, जिनकी चौडाई स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग–अलग हो सकती है। मुख्य आवागमन/बाजार की सडक, जो कि गांव के एक छोर से दूसरे छोर को जोडती है एवं आवागमन का मुख्य मार्ग रहता है। महात्मा गांधी नरेगा योजना में भारत सरकार के निर्देश दिनांक 24.04.2012 के द्वारा गांवों की आंतरिक सड़क की चौडाई 3 मीटर निर्धारित की गई है। शेष चौडाई में सडक निर्माण अन्य विभागीय योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों से कराई जा सकती है। गांवों की उक्तानुसार मुख्य सडक के समीप बस्ती/मौहल्ला/कॉलोनी को जोड़ने वाले रास्ते/गलियों आदि जिन पर सामान्यतया हल्का यातायात भार रहता है, को आंतरिक सड़क कहां जाता है। इन आंतरिक सडकों में पूर्व में कोई खरंजा/ग्रेवल निर्मित है तो जीकेएन–2010 अनुसार बेस लेयर को छोडकर 4 इंच मोटाई का 1:1.5:3 सीमेन्ट कॉन्क्रीट में टॉप लेयर निर्मित कराया जा सकेगा, लेकिन नवनिर्माण की स्थिति में आंतरिक सडकों के लिए बेस लेयर 6 इंच की जगह 4 इंच 1:3:6 सीमेन्ट कॉन्क्रीट का प्रावधान करते हुए टॉप लेयर उक्तानुसार 4 इंच 1:1.5:3 सीमेन्ट कॉन्क्रीट का ही निर्मित कराया जाना निर्धारित किया जाता है। आंतरिक सीमेन्ट सडक की अधिकतम चौडाई 5.5 मीटर तक की सीमा तक ही अनुमत होगी। विशेष परिस्थितियों में सहायक अभियन्ता या उससे वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी की तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर 5.5 मीटर से अधिक चौडाई की आंतरिक सीमेन्ट सडकों के लिए 5.5 मीटर तक उक्तानुसार सीमेन्ट कॉन्क्रीट सडक एवं शेष चौडाई में, यदि आवश्यक हो तो ग्रेवल सडक/ईट, पत्थर, खरंजा/60 एमएम मोटी इंटर लॉकिंग सडक अनुमत होगी।
2	पूर्व में ग्रेवल सड़को की मरम्मरत के एवं आयु के कोई मापदण्ड/समय सीमा निर्धारित नही थी। अब मेरे द्वारा सदन में घौषणा की गई है कि जो ग्रेवल सड़क निर्माण के एक वर्ष में लागत की 5 प्रतिशत राशि, दूसरे वर्ष लागत की 10 प्रतिशत राशि व तीसरे वर्ष 25 प्रतिशत राशि मरम्मरत के लिये खर्च की जा सकेगी व ग्रेवल सड़क की अधिकतम आयु 5 वर्ष होगी, आदेश प्रसारित करने बाबत।	अति. मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि की अध्यक्षता में दिनांक 28.02.2016 की बैठक में निर्णय हो चुका है। कार्यवाही विवरण के अनुमोदनार्थ मूल पत्रावली उच्च स्तर पर विचाराधीन/प्रकियाधीन है। निर्णय– ग्रेवल सडको में प्रतिवर्ष होने वाले संभावित क्षरण के आदेश दि. 10 फरवरी, 2012 को निरस्त कर व्यवहारिक आधार पर ग्रेवल सडकों की क्षरण सीमा (भौगोलिक स्थिति क आधार पर) निर्धारण पर निम्न निर्णय लिया गया – वार्षिक मरम्मत (Annual Maintenance) – दोष अवधि समाप्त होने की दिनांक से एक वर्ष बाद आवश्यकतानुसार Side berms/ carriage way में आए rain cuts, ruts, pot holes, etc. में कार्य स्थल पर उपलब्ध मिट्टी, ग्रेवल (कुल मात्रा का 5 प्रतिशत से अधिक नहीं) से प्रोफाईल की मरम्मत कराया जावे। नियत कालीन मरम्मत (Periodical Maintenance)– दोष अवधि समाप्त होने की दिनांक से तीन वर्ष बाद सड़क की Top Layer में प्रयुक्त की गई ग्रेवल की मूल मात्रा की अधिकतम 25 प्रतिशत सामग्री का उपयोग करते हुये सड़क का रख–रखाव किया जा सकेगा। इसके स्थान पर प्रकार ग्रेवल सडक का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त दोष निवारण अवधी के पश्चात पहले वर्ष में 5 प्रतिशत एवं दूसरे व आगामी वर्षो हेतु अधिकतम 10 प्रतिशत ग्रेवल

		सामग्री का उपयोग करते हुये ग्रेवल सडको का रख–रखाव किया जा सकेगा। कार्य की स्वीकृतियां शिड्यूल ऑफ पावर्स एवं ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानो के अनुसार जारी की जावेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय (महात्मा गांधी नरेगा), भारत सरकार द्वारा द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के लिए जारी मास्टर परिपत्र एवं दिशा निर्देश दिनांक 02.02.2016 में वर्णित बिन्दू संख्या 2.5.3.2 पर महात्मा गांधी नरेगा के तहत गुणवत्ता नियत्रण एवं रखरखाव हेतु परिसम्पत्तियों की अनुमानित इकॉनोमी, स्थायीत्व व परिणाम/उपयोगिता से सम्बन्धित वार्षिक रखरखाव के मुख्य विवरण में स्थायित्व समयावधि में सड़कों निर्माण के पूनरार्वत (repetitive) कार्य करवाये जाने बाबत सुचित करते हुये ग्रेवल/डब्ल्यूबीएम सड़क की स्थिति में न्यूनतम 5 वर्ष से पहले सड़क पूनरावर्त (repetitive) कार्य नही करवाये बाबत निर्देशित किया है। बैठक में चर्चा उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः– ➢ **नियत कालीन मरम्मत** (Periodical Maintenance)– सभी मौसम में उपयोगी बनाने हेतु सीसी सड़क एवं ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य में आवश्यक तकनीकी मापदण्ड अनुसार कार्य सम्पादन एवं पॉवर रोलर से optimum moisture content स्तर तक कुटाई आवश्यक है। इसी संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 17.11.2016 द्वारा भी महात्मा गांधी नरेगा के साथ कंवर्जेन्स करते हुये गैर–पीएमजीएसवाई बसावटों को एकल बारहमासी संपर्क सड़कों के लिए आवश्यक मापदण्ड एवं दिशा निर्देश है। इस कम में ग्रेवल सडक कार्य का पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी होने के एक वर्ष पश्चात् ही आवश्यकता होने पर मरम्मत कराई जा सकेगी। इस के उपरान्त पहले वर्ष में 5 प्रतिशत एवं दूसरे व आगामी वर्षो हेतु प्रत्येक वर्ष अधिकतम 10 प्रतिशत ग्रेवल सामग्री का उपयोग करते हुये ग्रेवल सडको का रख–रखाव किया जा सकेगा। ➢ **ग्रेवल सडकों की अधिकतम आयु :–** स्थायित्व समयावधि में सड़कों निर्माण के पुनरार्वत (repetitive) कार्य करवाये जाने के कम में ग्रेवल सड़क की स्थिति में न्यूनतम 5 वर्ष से पहले सड़क पूनरावर्त (repetitive) कार्य नही कराये जाने बाबत् निर्देशित किया है अर्थात् ग्रेवल सडक जिसका किसी भी योजना से उक्तानुसार मरम्मत कार्य नहीं कराया गया है तो कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी होने के पॉच वर्ष उपरान्त पुनरावर्त (repetitive) किया जा सकेगा। अतः ग्रेवल सडकों जिनकी किसी भी योजना से मरम्मत नहीं की गई हो, की कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी होने की दिनांक से अधिकतम आयु पॉच वर्ष निर्धारित की जाती है।
3	आम तौर पर गॉवों एवं ढाणियों में कदीमी रास्ते राजस्व रिकार्ड में दर्ज	विभागीय आदेश संख्या 26/2016 दिनांक 06.04.2016 की शर्त सख्या 13 के अनुसार "सडक निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि पर प्रचलित आम रास्तो के लिए भूमि से सम्बंधित कास्तकारो से

	नही है, किन्तु वो लागातार उपयोग में आ रहे हैं। इन रास्तों में खंरजा बनाना हो या सड़क बनानी हो या सड़क बनानी हो तो खातेदार की सहमति से बनानें की अनुमति की मेरे द्वारा घोषणा की गई है, इस सम्बंध में आदेश प्रसारित करने बाबत।	सहमति, नियमानुसार शपथ पत्र के उपरान्त कार्य सम्पादन किया जा सकेगा" पूर्व में लागू है के कम में पुनः स्पष्ट आदेश जारी कराने का निर्णय लिया गया।
4	सीमित निविंदा के माध्यम से ग्राम पंचायत को रू. 5. 00 लाख तक के कार्य कराये जाने की स्वीकृति थी, इसे बढाकर रू. 5.00 लाख के स्थान पर रू. 10.00 लाख करने की मेरे द्वारा घोषणा की गई है। इस घोषणा अनुसार ग्राम पंचायत रूपये 10.00 लाख तक एक कार्य एवं 1 वर्ष में रूपये 50.00 लाख तक के कार्य अपने स्तर पर समिति निविंदा के माध्यम से कराने की स्वीकृति देते हुये आदेश प्रसारित करने बाबत।	वित्त विभाग (G&T) की अधिसूचना दिनांक 14.07.2016 द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 16 के उपनियम 1 मे संशोधन कर पंचायती राज संस्थाओं संकर्मो या सेवाओं का उपापन करने हेतु निम्नानुसार प्रावधान किया गया। " परन्तु यह है कि कोई पंचायती राज संस्था या उसकी समिति सीमित बोली की पद्वति अंगीकृत कर सकेगी यदि उस विषय वस्तु की प्राक्कलित लागत या मूल्य एक अवसर पर 5.00 लाख पैसे कम हो किन्तु यह किसी वित्तीय वर्ष में 50.00 लाख रू से अधिक नही होगी" परन्तु यह और कि उपापन ग्रावि परावि विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्वान्तों के अनुसार किया जावेगा। उक्त अधिसूचना दिनांक 14.07.2016 की अनुपालना में निर्माण कार्यो हेतु सम्बन्धित संकर्मो की आनुषंगिक सामग्री के उपापन बाबत मार्गदर्शक सिद्धान्त दिनांक 13.08.2016 को जारी किया गया है। जो कि महात्मा गांधी नरेगा सहित सभी विभागीय योजनाओं पर वर्तमान में प्रभावी है। माननीय मंत्री महोदय द्वारा विधानसभा में दिये गयें उत्तर के दौरान की गई घोषणा के कम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को शीघ्र प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
5	बीएसआर सॉफ्टवेयर की सामग्री सूची में सडक कार्य हेतु सामग्री मद के तहत क्र.सं. 7.1 पर अंकित सामग्री विवरण "63–40 मिमी हाथ से टूटी पत्थर की रोडी के स्थान पर 63–40 मिमी केशर से टूटी हुई पत्थर की रोडी करने बाबत् चर्चा	जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला दर निर्णाय समिति बूंदी द्वारा ने सूचित किया है कि सडक कार्य हेतु सामग्री "63–40 मिमी हाथ से टूटी पत्थर की रोडी बाजार में उपलब्ध नही हो रही है एवं वर्तमान में 63–40 मिमी केशर से टूटी हुई पत्थर की रोडी काम में ली जा रही है। अतः बीएसआर सॉफट में "63–40 मिमी हाथ से टूटी पत्थर की रोडी के स्थान पर 63–40 मिमी केशर से टूटी हुई पत्थर की रोडी करने का अनुरोध किया है। उक्त सम्बंध में अतिरिक्त आइटम जोडने का निर्णय लिया गया।
6	फ्लाई ऐश के उपयोग एवं संवर्धन के संबंध मे भारत सरकार द्वारा प्रदत निर्देशों की पालना के कम में फ्लाईऐश से निर्मित ईंटों का विभागीय निर्माण कार्य में उपयोग करने व	सार्वजनिक निर्माण विभाग की बीएसआर सामग्री सूंची में फ्लाई ऐश से निर्मित ईटों का सामग्री विवरण निम्नानुसार दिया हुआ है। CODE | Name of Material | Unit Rate 7008 | F.P.S clay fly ash bricks class designation 75 | Rs4.00/nos 7737 | Fly ash lime bricks (FALG Bricks) conforming to I.S. 12894-1989 | Rs 2.4/nos

	बीएसआर में आईटम सम्मिलित करने हेतु सामग्री परिभाषित करने व आईटम को बाबत् चर्चा	8658 | Mechanised Autoclaved fly ash lime bricks100 | Rs 4.5/nos इसी क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की बीएसआर सामग्री सूंची में मिटटी से निर्मित ईटों का सामग्री विवरण निम्नानुसार उल्लेखित है। CODE | Name of Material | Unit Rate 2602 | F.P.S bricks class designation 75 | Rs 3.80/nos 2603 | F.P.S bricks class designation 50 | Rs 3.20/nos 1984 | F.P.S bricks tile class designation 100 | Rs 4.00/nos 1986 | Modular bricks class designation 75 | Rs 5.50/nos इन सामग्री आईटम (मिटटी की ईटों) के लिए विभागीय बी.एस.आर सॉफ्टवेयर में सम्मिलित करने हेतु मात्र दों प्रकार की ईट प्रथम श्रेणी व द्वितिय श्रेणी को ही निर्धारण कर आईटम का विवरण सामग्री सूची में लिया गया है। अतः फ्लाईऐश से निर्मित ईंटों का विभागीय निर्माण कार्य में उपयोग करने व बीएसआर में आईटम सम्मिलित करने हेतु सामग्री परिभाषित करनें व आईटम जोडने बाबत् चर्चा फ्लाई ऐश से निर्मित ईटों के आईटम बीएसआर में पीडब्ल्यूडी अनुसार हैण्ड कम्प्रेस्ड आधारित 2 आइटम सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया।
7	श्रम विभाग द्वारा अधिसूचना 05.07.2016 अनुसार अकुशल एवं अर्द्धकुशल (मेट) की पुनरिक्षित दर क्रमशः रूपये 201 प्रति दिवस व 211 प्रति दिवस नरेगा अनुभाग द्वारा जारी दिनांक 09.03. 2017 के अनुसार अकुशल श्रमिक की पुनरीक्षित दर रूपये 192 प्रति दिवस का बीएसआर सॉफ्टवेयर में अपडेट करने पर चर्चा	श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 05.07.2016 के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कियान्वित की जा रही विभिन्न केंद्र प्रवर्तित एवं राज्य प्रवर्तित श्रम रोजगार सृजन करने वाली योजनाओं (महात्मॉ गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना को छोडकर) में नियोजित कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदुरी की दरें निम्नानुसार पुनरीक्षित की है एवं दिनांक 01.04.2016 से लागू की गयी है:– क.सं | श्रमिक श्रेणी | मजदूरी प्रतिदिन (रू) 1 | अकुशल | 201 2 | अर्द्धकुशल | 211 3 | कुशल | 221 4 | उच्च कुशल | 271 इसके साथ ही उक्त श्रमिक श्रेणीयों के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न कामगारों का वर्गीकरण करते हुए अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिक एवं उनके कार्य निम्नानुसार परिभाषित किये है(टिप्पणी सं. 6)। अकुशल (Unskilled) कार्य वह है जिसमे ऐसे साधारण कार्य जिसमें कि कार्य संबंधी कुशलता/अनुभव की, मामूली आवश्यकता है, या नही है, सम्मिलित है। 2 वर्ष कार्य करने के बाद ऐसे समस्त अकुशल कामगार अर्द्धकुशल श्रेणी के कामगार के समक्ष दरों से मजदुरी पाने के अधिकारी होंगे। (ख) अर्द्धकुशल (Semi-skilled) कार्य वह है जिसमे कार्य संबंधी अनुभव द्वारा प्राप्त कुशलता या समक्षता कुछ अंश तक सम्मिलित है, और जो चतुर कर्मचारी के पर्यवेक्षण या कार्य दर्शन के अधीन पूरा

		किया जाने योग्य है और इसमें अकुशल पर्यवेक्षणीय कार्य भी सम्मिलित है। अर्द्धकुशल श्रेणी में सम्मिलित समस्त कामगार 3 वर्ष कार्य करने के बाद कुशल श्रेणी के कामगार के समक्ष दरों से मजदुरी पाने के अधिकारी होंगे। (ग) कुशल (Skilled) कार्य वह है जिसमे कार्य संबंधी अनुभव द्वारा प्राप्त या शिक्षा (अप्रेन्टिस) के रूप में या तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान द्वारा प्राप्त कुशलता या समक्षता सम्मिलित है, और जिसके निष्पादन में उपक्रम एवं विवेक की आवश्यकता है। कुशल कामगार जिसने या तो 5 वर्ष कुशल श्रमिक की तरह उक्त पद का कार्य अनुभव या न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताऐं अर्जित कर ली है, जो भी पहले हो, वह उच्च कुशल कामगार के समकक्ष दरों से मजदुरी पाने का अधिकारी होगा। (घ) उच्च कुशल (Highly Skilled) कार्य से आशय है, ऐसा कोई भी कार्य, जिसमें सघन तकनीक या व्यावसायिक प्रशिक्षण या लम्बे वर्षो के व्यवहारिक (Practical) कार्य के अनुभव के आधार पर अर्जित कुछ खास कार्यो क सम्पादन में पूर्णता की डिग्री और पूर्ण क्षमता की आवश्यकता होती है, सम्मिलित है। इसके साथ ही पार्ट टाईम (अंशकालीन) श्रमिक यदि 4 घण्टे से कम कार्य करता हो तो उसे निर्धारित न्यूनतम दर का 50 प्रतिशत तथा 4 घण्टे से अधिक कार्य करने पर पूर्ण निर्धारित वेतन देने सम्बन्धी नवीन टिप्पणी जोडी गई है (टिप्पणी सं. 10)। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.02.2017 के द्वारा नरेगा योजना के लिए अकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर रूपये 192 प्रतिदिवस निर्धारित की है। इस सम्बन्ध में महात्मा गांधी नरेगा अनुभाग के पत्र दिनांक 09.03.2017 द्वारा जिलों को पुनरीक्षित दर रूपये 192 प्रतिदिवस दिनांक 01.04.2017 से प्रभावी करते हुये सुचित किया है। उक्तानुसार दरों का बीएसआर सॉफटवेयर में अपडेट/संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया।
8	माननीय मंत्री महोदय द्वारा मनरेगा के अतिरिक्त अन्य योजनाओं में अर्द्वकुशल श्रमिक की मजदूरी प्रचलित बाजार दर के समकक्ष करने के लिये आदेश प्रसारित करने बाबत चर्चा	विभाग द्वारा अकुशल/अर्द्धकुशल (मेट) की मजदूरी दरें श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार काम मे ली जा रही है। कुशल श्रमिकों की दर का निर्धारण सम्बन्धित जिला स्तरीय जिला दर निर्णायक समिति द्वारा की जाती है। महात्मा गांधी योजना के लिए अकुशल श्रमिक की दर का निर्धारण भारत सरकार द्वारा समय–समय पर किया जाता है। एवं मेट (अर्द्धकुशल श्रमिक) की दर का निर्धारण महात्मा गांधी नरेगा अनुभाग द्वारा किया जाता है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कियान्वित की जा रही विभिन्न केंद्र प्रवर्तित एवं राज्य प्रवर्तित श्रम रोजगार सृजन करने वाली योजनाओं (महात्मॉ गांधी नरेगा को छोडकर) के लिए अकुशल/अर्द्धकुशल/कुशल/उच्च कुशल श्रमिकों की न्यूनतम

		मजदुरी की दरें समय–समय पर श्रम विभाग द्वारा पुनरीक्षित की जाती है। अतः तकनीकी अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 06.07.2016 के बिन्दु संख्या 5 अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना को छोड कर विभाग की समस्त विकास योजनाओ में कार्यो के सम्पादन मस्टररोल आधार पर श्रमिको का नियोजन करके अथवा सम्पूर्ण कार्य को संवेदक के माध्यम से कराने का प्रावधान है। महात्मा गांधी नरेगा योजना में अकुशल श्रमिको का दैनिक मजदूरी श्रम मद में एवं अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिको की मजदूरी सामग्री मद में गिनी जाती है। महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्यो पर अर्द्धकुशल श्रमिक लगाने से इन पर होने वाले व्यय का 25 प्रतिशत भाग राज्य सरकार को वहन करना होता है। अतः इससे राज्य कोष पर लगभग 170 करोड रूपये का प्रति वर्ष अधिक भार संभावित है। अतः महात्मा गांधी नरेगा में अकुशल श्रमिकों से ही मस्टररोल आधार पर वर्तमान में जारी कार्य सम्पादन प्रणाली को यथावत लागू रखने का निर्णय लिया गया। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अतिरिक्त विभाग की समस्त विकास योजनाओ में कार्यो का सम्पादन में कार्य की प्रकृति अनुसार यदि अर्द्धकुशल श्रमिकों का नियोजन किया जाना आवश्यक है तो अकुशल श्रमिकों की टास्क को सार्वजनिक निर्माण विभाग की वर्तमान प्रचलित अर्द्धकुशल श्रमिकों की दर 300 रू. प्रतिदिन की अधिकतम सीमा के आधार पर समानुपातिक की जाकर अर्द्धकुशल श्रमिक लगाया जाना अनुमत किया जाना प्रस्तावित है। विभाग द्वारा सम्पादित निर्माण कार्यों हेतु गुणवत्ता के परिपेक्ष्य में अर्द्धकुशल श्रमिकों के नियोजन की आवश्यकता के कम में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले निर्माण कार्यों को छोडकर शेष सभी विभागीय योजनाओं के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुसार अर्द्धकुशल श्रमिकों का नियोजन किया जा सकेगा। इस कम में ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2010 के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार गठित जिला स्तरीय दर निर्धारण समिति द्वारा बिन्दु संख्या 8.3.1 के कम में अर्द्धकुशल श्रमिकों की प्रचलित दर सार्वजनिक निर्माण विभाग की तत्समय प्रभावी अर्द्धकुशल श्रमिकों की दर (वर्तमान में 300 रू. प्रतिदिन) की अधिकतम सीमा के तक निर्धारित कर सकेंगी, लेकिन अकुशल श्रमिकों की प्रचलित दर के स्थान पर नियोजित अर्द्धकुशल श्रमिकों की अनुमोदित दरों के समानुपात में अर्द्धकुशल श्रमिकों का टास्क निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है अर्थात् सम्पादित कराये जाने वाले कार्य/आईटम की अर्द्धकुशल श्रमिकों के नियोजन से लागत में कोई वृद्धि नहीं होगी। अतः महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले निर्माण कार्यों को छोडकर शेष सभी विभागीय योजनाओं के लिए कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता अनुसार अर्द्धकुशल श्रमिकों के नियोजन बाबत् सार्वजनिक निर्माण विभाग की वर्तमान में प्रभावी अधिकतम दर 300 रू. तक की सीमा में अर्द्धकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली दर एवं उक्तानुसार समानुपातिक टास्क का जिला दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित कराकर लागू कराया जाना प्रस्तावित है।

9	गावों में श्रमीको का नियोजन कर साफ–सफाई की विभिन्न गतिविधियां तय करने, इनकी बीएसआर/दर विश्लेषण का निर्धारण पर चर्चा	गावों में श्रमीको का नियोजन कर साफ–सफाई की विभिन्न गतिविधियां तय करने, इनकी बीएसआर/दर विश्लेषण का निर्धारण बाबत् समिति में विचार–विमर्श उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया गया :– 1. स्थानीय निकाय यथा – निकटतम नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका आदि में उनकी प्रचलित दरों में से 10 प्रतिशत ठेकेदार का लाभ कम कर अधिकतम दर सीमा निर्धारित की जावे। 2. उक्तानुसार निर्धारित नगर निकायों की प्रचलित दरों से 10 प्रतिशत कम दर की सीमा में जिला दर निर्धारण समिति द्वारा पंचायत समितिवार दरों के निर्धारण के लिए अधिकृत किया जावे।
10	बीकानेर संभाग में ईट खरंजा निर्माण में ईट की खपत 51 ईट के स्थान पर 57 ईट अनुमत किये जाने पर चर्चा।	समिति में विचार–विमर्श कर निर्देशित किया कि संभाग विशेष की कठिनाई के कम में जिला बीकानेर, हनुमानगढ, गंगानगर एवं चूरू के अधिशाषी अभियंता (अभि.) का तकनीकी दल गठित कर प्रत्येक जिले के 3–3 कार्यो के अनुसार कुल 12 कार्यो का मौके पर ईट खरंजा में उपयोग में ली गई ईट की मात्रा का अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करावें।

अन्त मे बैठक सधन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गाधी नरेगा, ग्रामीण विकास।
6. निजी सचिव, आयुक्त, ज.ग्र.वि. एवं भू–संरक्षण. विभाग।
7. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास ।
8. वित्तीय सलाहकार, महात्मा गांधी नरेगा।
9. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग।
10. वित्तीय सलाहकार, जल ग्रहण एवं भू–सरंक्षण विभाग।
11. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास।
12. अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस),महात्मा गॉधी नरेगा।
13. अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0), पंचायती राज।
14. रक्षित पत्रावली।

परियोजना अधिकारी (अभियान्त्रिकी)

शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग विधान सभा में दिनांक 27.03.2017 को विभागीय अनुदान मांगों पर उत्तर देते समय माननीय मंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणाओं की कियान्विति के कम में चर्चा हेतु शासन सचिव, ग्रामीण विकास महोदय की अध्यक्षता में विभागीय तकनीकी अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 10.04.2017 उपस्थित संभागियों का विवरण :–

क.सं.	अधिकारी का नाम	पद
1	श्री सीएम तेजावत	अतिरिक्त निदेशक, जल ग्रहण विकास एंव भू–सरक्षण विभाग
2	श्री अरूण सुराणा	अधीक्षण अभियन्ता, महात्मा गांधी नरेगा
3	श्री मुकेश माहेश्वरी	अधीक्षण अभियन्ता, पंचायती राज विभाग
4	श्री के.के. शर्मा	अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास विभाग
5	श्री आर एन हर्ष	अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद, पाली
6	श्री विनोद कुमार उपाध्याय	अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद, जयपुर (सम्भाग)
7	श्री सुनील जैन	अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद, अजमेर (सम्भाग) (वी.सी. के माध्यम से)
8	श्री मुकेश अग्रवाल	अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद, भरतपुर (सम्भाग) (वी.सी. के माध्यम से)
9	श्रीमती संगीता सोलकी	अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद, बीकानेर (सम्भाग) (वी.सी. के माध्यम से)
10	श्री लोकेश दाधीच	अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद, कोटा (सम्भाग) (वी.सी. के माध्यम से)
11	श्री पी.पी.सिंह	अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद, जोधपुर (सम्भाग) (वी.सी. के माध्यम से)
12	श्रीमती प्रज्ञा सक्सैना	अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद, उदयपुर (सम्भाग) (वी.सी. के माध्यम से)
13	श्री पराग चौधरी	अधिशाषी अभियन्ता, स्वच्छ भारत मिशन, परावि
14	श्री प्रकाश कोठारी	अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद भीलवाडा
15	श्री अरविन्द सक्सेना	अधिशासी अभियन्ता, महात्मा गांधी नरेगा
16	श्री लोकेश पूनिया	परियोजना अधीकारी (अभि.) ग्रामीण विकास
17	श्री आलोक वैष्णव	सहायक अभियन्ता, जिला परिषद, भीलवाडा